

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2550

दिनांक 16-11-2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	38ए	विप्र विहार	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री सज्जन सिंह भाटी	श्रीमती लाजवन्ती शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
2	39	विप्र विहार	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री सज्जन सिंह भाटी	श्रीमती लाजवन्ती शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
3	43	विप्र विहार	श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री सज्जन सिंह भाटी	श्रीमती माया देवी शर्मा पत्नी श्री राजबहादुर	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
4	44	विप्र विहार	श्री गजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री सज्जन सिंह भाटी	श्री राज बहादुर शर्मा पुत्र श्री प्रभु शर्मा	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
5	45	विप्र विहार	श्री गजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र स्व. श्री सज्जन सिंह भाटी	श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बिहारी लाल शर्मा	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3867

दिनांक 16-11-2022

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शंकर लाल कुमावत पुत्र श्री मालिचन्द कुमावत	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री गोरधन लाल शर्मा	31	278.00	भैरव	कृष्णा विहार	फ्री-होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अंपीकृत इकरारनामा आदि

आवेदक आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अंपीकृत इकरारनामा के आधार पर पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड/पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

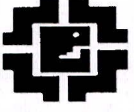
उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री ज्ञानेश्वर कृष्ण शर्मा पुत्र श्री श्याम कृष्ण शर्मा	श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा पत्नि श्री विशन लाल सोनी	100	135.00 वर्गगज	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश विहार सिरसी	फी होल्ड लीजडीड हेतु	श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा श्री रामप्रसाद यादव के पक्ष में किया गया मुख्यारनामा अपंजीकृत व नोटरी तस्दीकशुदा के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

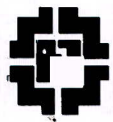
यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-3875

दिनांक

16-11-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ लविप्रा योजना	योजना का नाम	का सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शिवसुमन शर्मा पुत्र स्व. श्री मोहन लाल शर्मा एवं श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री शिवसुमन शर्मा	श्री हनुमान सिंह श्री शेखावत पुत्र श्री छोटू सिंह शेखावत	4	206.00	मित्र	विजयबाडी	नियमन	उत्तराधिकार प्रकरण
2	श्री राजू जांगिड पुत्र स्व. श्री मूलचन्द जांगिड	श्री मूलचन्द जांगिड पुत्र श्री गणेश नारायण जांगिड	8	69.16	मित्र	परसरामपुरा स्कीम-5	उपविभाजन हस्तान्तरण	उत्तराधिकार प्रकरण
3	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कालूराम	श्रीमती चन्द्रावती पत्नी श्री रामनिवास	6-ए	116.00	भैरव	उद्योग नगर विस्तार	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुरा, जयपुर। -

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुरा/जोन-6/22/डी-3841

दिनांक 15.11.2022 15/11/22

उपायुक्त जोन-6
बलविप्रा, सिंदूरसिन्धी
उपायुक्त जोन-6
जयपुरा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दृष्टाव - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बन्धित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी-2549

दिनांक 16-11-2022

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में पट्टे की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	खसरा संख्या	योजना का नाम	ग्राम व तहसील, क्षेत्रफल	आवेदक का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	112	निजी खातेदारी	ग्राम दुर्गापुरा, तहसील-सांगानेर, क्षेत्रफल 495 वर्गगज	श्री हरि नारायण मीना पुत्र स्व. श्री भागीरथ मीना	नेट से प्राप्त जमाबंदी, भू-प्रबन्धक विभाग से प्राप्त पत्र व अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3817

दिनांक 10-11-2022

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अनिता जाट पत्नी श्री बंशीधर चौधरी	श्रीमती श्रुति लाहौटी पत्नी श्री पवन लाहौटी	डी-94	210.00	निजी खातेदारी	सनसिटी	फ्री-होल्ड पट्टा	उप पंजीयन-प्रथम से सत्य प्रतिलिपि व खोया-पाया समाचार प्रकाशन की प्रतियां।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उप पंजीयन-प्रथम से सत्य प्रतिलिपि व खोया-पाया समाचार प्रकाशन व शपथ पत्र के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

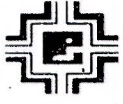
उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 3083

दिनांक:- 15/11/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

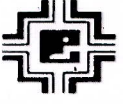
आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री बालकिशन अग्रवाल	श्रीमती हंसा गोयल	44	400.00 वर्ग गज	मौजी कॉलोनी	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र

★

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-3100

दिनांक:- 16/11/22

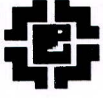
जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती नारंगी देवी	श्री सतनारायण भूखमारिया	ए-716	223.88 वर्ग गज	जविप्रा	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण	अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3576

दिनांक 16.11.22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/ निजी खातेदारी/ जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	29	श्रीमती रूपा खिप्पल पत्नी श्री नरेन्द्र खिप्पल	बुनियादी गृ.नि.स.स. लि.	राधा कृष्णा एनक्लेव	लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मानपुर नांगल्या, तहसील सांगानेर, के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

AM
जयपुर-14
जयपुर विकास प्राधिकरण

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2022/डी-3575
दिनांक:- 16-11-2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102217

दिनांक: 15/11/2022

लोक सूचना

श्री VISHNU KUMAR GUPTA पुत्र श्री RAMGOPAL GUPTA जाति MAHAJAN निवासी 1347 JAI PATH BARKAT NAGAR TONK ROAD JAIPUR 302015

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मानपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	VISHNU KUMAR GUPTA	180/626	400	0.04
2.	मानपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	VISHNU KUMAR GUPTA	181	7000	0.7
3.	मानपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	VISHNU KUMAR GUPTA	183	100	0.01
4.	मानपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	VISHNU KUMAR GUPTA	184	8300	0.83
5.	मानपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	VISHNU KUMAR GUPTA	184/605	400	0.04
कुल					1.62

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15-11-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....2459

दिनांक.....16/11/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ.नि.स.स.लि. की योजना- विनायक विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
सिरसी-जयपुर	750	0.9105	- ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - गंगाशरण पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - गोपाललाल पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा- 1/30 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - गोविन्द शरण पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - जुगल किशोर पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - नन्द किशोर पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/30 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - प्रभूनारायण पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा- 1/30 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - रामकंवर पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा- 1/30 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - रामनाथ पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा- 1/30 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - रामप्रसाद पुत्र जगदीश नारायण हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - रामशरण पुत्र मोतीलाल हिस्सा- 1/9 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - रामेश्वरी देवी पत्नि स्व. राधेश्याम हिस्सा- 2/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - विष्णु किशोर पुत्र घीसीलाल हिस्सा- 1/6 जाति - महाजन सा. देह खातेदार - सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल हिस्सा- 1/9 जाति - अहीर (यादव) सा. देह खातेदार - सियाशरण पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/63 जाति - महाजन सा. देह खातेदार

751 752	2.13 बीघा 0.03 बीघा	1. प्रेमप्रकाश पुत्र भँवरलाल हिस्सा- 1/9 जाति - महाजन सा. देह खातेदार 2. योगेश कुमार पुत्र हिस्सा- 1/9 जाति - महाजन सा. देह खातेदार 3. राधामोहन पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/3 जाति - महाजन सा. देह खातेदार 4. रामेश्वर प्रसाद पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/3 जाति - महाजन सा. देह खातेदार 5. सुरेश चन्द्र पुत्र भँवरलाल हिस्सा- 1/9 जाति - महाजन सा. देह खातेदार
753	2.08 बीघा	1. गणपत पुत्र काना हिस्सा- 1/9 जाति - जाट सा. देह खातेदार 2. गोपी पुत्र काना हिस्सा- 1/9 जाति - जाट सा. देह खातेदार 3. गोविन्दा पुत्र काना हिस्सा- 1/9 जाति - जाट सा. देह खातेदार 4. जगन्नाथ पुत्र ग्यारसा हिस्सा- 1/3 जाति - जाट सा. देह खातेदार 5. हरबक्ष पुत्र जयराम हिस्सा- 1/3 जाति - जाट सा. देह खातेदार
754	3.11 बीघा	1. नरायण पुत्र लछमना हिस्सा- 1/8 जाति - जाट सा. देह खातेदार 2. रूकमणी पत्नि पदमसिंह ठाका हिस्सा- 1/3 जाति - जाट सा. देह खातेदार 3. रामचन्द्र पुत्र लछमना हिस्सा- 1/8 जाति - जाट सा. देह खातेदार 4. सतीश सीमार पु. स्व. चौधरी हनुमान दास हिस्सा- 1/6 जाति - जाट सा. देह खातेदार 5. हनुमान पुत्र लछमना हिस्सा- 1/8 जाति - जाट सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

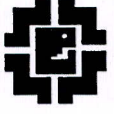
नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

11
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2453

दिनांक 16/11/2022

आम सूचना

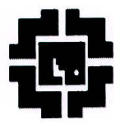
निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री भागचन्द बलाई	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री भागचन्द	बी- 169	186.66 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स. स.	आम्रपाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद के आधार पर

SD.
उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीज जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग गज	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री बजरंग लाल कुमावत	श्रीमती अनिता खेड़ा	68	86.12	नेहरू गु.नि.स.स.लि.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करायें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीज जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त-जोब-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2022/डी-2461
दिनांक :- 16-11-22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फ़ैक्स : 91+141-257455

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102145

दिनांक: 16/11/2022

लोक सूचना

श्री DINESH KUMAR MALHOTRA पुत्र श्री CHIRANJI LAL MALHOTRA जाति KHATIK निवासी PLOT NO. 213-214, SURYA NAGAR, GALTA GATE, JAIPUR CITY, RAJASTHAN

श्री ANITA DEVI पत्नी श्री DINESH KUMAR MALHOTRA जाति KHATIK निवासी PLOT NO. 213-214, SURYA NAGAR, GALTA GATE, JAIPUR CITY, RAJASTHAN

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	केशोपुरा, सांगानेर (जयपुर)	DINESH KUMAR MALHOTRA S/O CHIRANJI LAL MALHOTRA	197/2	463	0.0463
2.	केशोपुरा, सांगानेर (जयपुर)	ANITA DEVI W/O DINESH KUMAR MALHOTRA	197/1	463	0.0463
कुल					0.0926

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

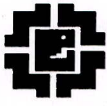
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16-11-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

✓ **प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर, जविप्रा, जयपुराण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा.07/2022/डी-2467

आम सूचना

दिनांक:-16/11/2022

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में दी कृष्णा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की योजना के-5-सी के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डधारी का नाम
1.	22	श्रीमती सरोज कँवर
2.	23	श्रीमती सविता मारवल
3.	25	श्री श्रवण सिंह
4.	26	श्री महावीर सिंह
5.	27	श्री ज्ञानचन्द स्वामी
6.	28	श्रीमती प्रेम कँवर
7.	29	श्री रवीन्द्र सिंह
8.	30	श्रीमती गुलाब कँवर
9.	31	श्रीमती कान्ता शर्मा
10.	32	श्री रामसिंह
11.	33	श्रीमती सरोज कँवर
12.	34	श्री मदन लाल स्वामी
13.	35	श्री प्रहलाद सिंह
14.	36	श्री सांवरमल स्वामी
15.	37	श्रीमती किरण गर्ग
16.	38	श्रीमती कुसुमलता गुप्ता
17.	39	श्रीमती विमला देवी
18.	40	श्रीमती विमला देवी
19.	41	श्री हरि सिंह पूनियां
20.	45	श्री राजेश शर्मा
21.	47	श्री हुकम सिंह
22.	48	श्री अमर सिंह
23.	49	श्री दौलत सिंह
24.	50	श्रीमती कुसुमलता पारीक
25.	51	श्रीमती मुनि देवी
26.	52	श्री महावीर सिंह
27.	53	श्रीमती विजेन्द्री महला
28.	54	श्रीमती बादामी देवी
29.	55	श्री विशाल सिंह
30.	45ए	श्री बजरंग लाल शर्मा

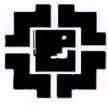
अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्त प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफ कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा.07 / 2022 / डी-2467

दिनांक:- 16/11/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में दी कृष्णा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की योजना के-5-सी जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के नियमन से शेष भूखण्ड संख्या 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 45ए, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 एवं 55 को के-5-सी योजना में सम्मिलित किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्डों के नियमन के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफ कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर